राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(60)AAA/IEC/ICDS/2016/ 76073-335 जयपुर,दिनांक : 4-5-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (शहरी परियोजनाओं को छोडकर)

विषयः— राजसंगम (AAA) के प्रशिक्षण वी.सी. में भाग लेने तथा प्रभावी रूप से लागू करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में लेख है कि राजसंगम कार्यक्रम के तहत शहरी ब्लॉक को छोडकर शेष पूरे राज्य में आंगनबाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम तथा आशा सहयोगिनी के कार्यों के सर्वे को समान करते हुए केन्द्र पर नजरी नक्शा तथा उसके अनुरूप गृह भ्रमण कार्यक्रम करना मुख्य प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम से दोनो विभागों के फिल्ड कर्मियों के कार्यों में और अधिक मजबूती और प्रभाविता आयेगी। इसके लिए यह अपेक्षित है कि राजसंगम (AAA) कर्मियों के साथ साथ समस्त महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों (शहरी ब्लॉक को छोडकर) का AAA क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाये। किन्तु यह देखने में आया है कि सीडीपीओं तथा महिला पर्यवेक्षक को राजसंगम (AAA) के प्रशिक्षण वी.सी. में उपस्थिति बहुत कम है। इसके अलावा कई स्थानाओं पर राजसंगम के तहत आंगनबाडी केन्द्र के कवरेज का नजरी नक्शा बनाने में महिला पर्यवेक्षक तथा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि :—

1. शहरी परियोजनाओं को छोडकर शेष सभी सीडीपीओं तथा महिला पर्यवेक्षक राजसंगम (AAA) की आगामी वी.सी. के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण सत्र में कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में अवश्य भाग ले।
2. राजसंगम (AAA) के तहत प्रशिक्षण में बताये अनुसार आंगनबाडी केन्द्र का नजरी नक्शा तथा सर्वे एक माह के भीतर—भीतर पुरा कराना सुनिश्चित करावें।
3. जिन कार्यकर्ताओं ने अपने निर्धारित बैच के साथ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है उन्हें आगामी प्रशिक्षण बैच में भाग लेने के लिए आदेशित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यकर्ताओं ने राजसंगम (AAA) का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक F 26(4)(60)AAA/IEC/ICDS/2016/ 76336-340 जयपुर,दिनांक : 4-5-18

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एपं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर